तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
10-12-19	वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई जाकर पत्रावली दि० 10-12-19 को पेश हो। [signature]
10-12-19	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~[illegible]~~ ~~अभिभाषक/रिस्पोन्डेन्ट~~ प्रार्थी/~~[illegible]~~ उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~। दौरान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~[illegible]~~ ~~कार्य के कारण [illegible]~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21-1-2020 को पेश हो। [signature] रीडर
21-1-20	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~[illegible]~~ ~~अभिभाषक/रिस्पोन्डेन्ट~~ प्रार्थी/~~[illegible]~~ उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~। दौरान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~[illegible]~~ ~~कार्य के कारण [illegible]~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-2-2020 को पेश हो। [illegible] [signature] रीडर
18-2-2020	वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 28-2-2020 को पेश हो। [signature]
28-2-2020	वकील प्रार्थी उप०। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 13-3-2020 को पेश हो। [signature]
13-3-2020	वकील प्रार्थी उप०। प्रा०पत्र 136 L.R.Act खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलानुसार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप जिला कले... गंगापुर सिटी (स०मा०)

हुक्म की
में आगे

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
110/2019	26.7.2019	13.3.2020

हीरालाल पुत्र हरफूल, गुर्जर, बाढमिलकपुर तहसील गंगापुर सिटी—प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :—श्री प्रेम प्रकाश जोशी, एडवोकेट प्राथी की ओर से

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम हीरालाल पुत्र हरफूल है जिसे निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र में, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड में भी दर्ज किया हुआ है। जमाबंदी सं0 2072 से 2075 ग्राम खौलाई के खाता संख्या 78 में हरिया पुत्र हरफूल, खाता संख्या 133 में हीर्या पुत्र हरफूल तथा खाता संख्या 74 में हरिया पुत्र हरफूल प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2071 से 2074 की ग्राम मिलकपुर की जमाबंदी के खाता संख्या 31 में हीर्या पुत्र हरफूल, खाता संख्या 37 में हरिया पुत्र हरफूल दर्ज किया गया है। जबकि प्रार्थी का नाम उपरोक्त जमाबंदियो में शुद्ध होकर हीरालाल पुत्र हरफूल संशोधन योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम खोलाई एवं मिलकपुर की जमाबंदियो में प्रार्थी का नाम हीरालाल पुत्र हरफूल संशोधन कर दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि आवेदक द्वारा जुलाई 2012 में बैंक से के0सी0सी0 के माध्यम से लोन लिया है इसलिए आवेदक को गलती की जानकारी पूर्व से ही है। प्रार्थी का दावा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम मिलकपुर खाता संख्या नया 37 व 31, नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 ग्राम खौलाई खाता संख्या 133, 74, 78, फोटोकॉपी आधार कार्ड, फोटोकॉपी निर्वाचक पहचान पत्र पेश किए हैं।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी सुनी गई।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का सही नाम हीरालाल पुत्र हरफूल दर्ज करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी ने जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम मिलकपुर खाता संख्या 37 के अनुसार हीरया पुत्र हरफूल के नाम से के0सी0सी0 लोन प्राप्त किया है। गलती की जानकारी प्रार्थी को पूर्व से ही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अप्रार्थी का यह कथन सही है कि प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम मिलकपुर के खाता संख्या 37 के अनुसार हीरया पुत्र हरफूल के नाम से बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर सिटी से ऋण प्राप्त किया है जिसका रहन का नोट जमाबंदी में अंकित है। इससे यह प्रमाणित है कि प्रार्थी को गलती की जानकारी पहले से ही रही है। प्रार्थी ने गलती की दुरूस्ती हेतु आवेदन समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.3.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.06.26 16:09:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: